न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भवंर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 33 / 2013 (2013 / 00009) जिला–अजमेर

श्रीराम उर्फ हरिराम पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी ग्राम श्रीरामपुरा तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।

———अपीलार्थी

बनाम

1. श्री रामपाल पुत्र श्री जगन्नाथ
2. श्री सुवालाल पुत्र श्री घासी
   समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम श्रीरामपुरा, तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरवाड़ जिला अजमेर।

————प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश अपर जिला कलक्टर, अजमेर दिनांक 09–03–2011
अन्तर्गत प्रकरण संख्या 64 / 2009
बउनवान श्री रामपाल बनाम श्रीराम वगैरह

————

उपस्थित– 1. श्री मोहम्मद ईकबाल अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री हेम सिंह राठौड़ अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या–1 व 2

निर्णय

दिनांकः– 17–01–2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 2 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर राजस्व अभियान 2008 कैम्प कासीर में कैम्प प्रभारी द्वारा दिनांक 6–2–2008 को अपीलार्थी के पक्ष में ग्राम श्रीरामपुर के सिवायचक खसरा नम्बर 666 / 320 में से 03 बीघा भूमि का नियमन किया गया। अपीलार्थी के पक्ष में किये गये नियमन को विभिन्न कारणों से नियम विरूद्ध बताते हुए प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में किये गये नियमन को निरस्त करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अपीलार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए

अपीलार्थी के पक्ष में किये गये नियमन को आवंटन दर्शाते हुए अपने निर्णय दिनांक 09–03–2011 द्वारा निरस्त कर दिया। अधीनस्थ न्यायलय अपर जिला कलक्टर, अजमेर के उक्त आदेश दिनांक 09–03–2011 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Subject to Limitation दर्ज रजिस्टर कि जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 द्वारा लिखित बहस पर मनन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा–5 पर कथन किया है कि अपीलार्थी के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायलय द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही की गई थी जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी तथा अपीलार्थी कानूनी प्रावधानों से वाकिफ नहीं होने के कारण मियाद कानून की जानकारी नहीं थी एवं अशिक्षित व्यक्ति है। इस कारण अपर जिला कलक्टर अजमेर द्वारा पारित आदेश की जानकारी नहीं हो सकी। अपीलार्थी के पक्ष में हुए इन्द्राज को हटाने बाबत आदेश पारित हुआ तब पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी को जानकारी दी तब दिनांक 27–12–2012 को नकल का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 8–1–2013 को नकल प्राप्त कर जानकारी दिनांक से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की गई। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थी संख्या–1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी के अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए लिखित में निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। मियाद हेतु छूट चाहने बाबत कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। मियाद में छूट चाहने बाबत ठोस कारण अंकित करने चाहिए थे। मियाद में छूट चाहने हेतु प्रतिदिन बाबत संतोषजनक कारण अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद के छूट के प्रार्थना पत्र में ऐसा नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने विद्वान अपीलार्थी के अधिवक्ता की मियाद के बिंदु पर दिये गये तर्को पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एंव राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में

हुई देरी को क्षमा किया जाता है। अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में किये गये नियमन को आवंटन दर्शाते एवं वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए अपील प्रस्तुत की और न्यायालय को वास्तविक तथ्यों से परे रखा तथा अपनी बातों को झूठे तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायलय द्वारा तथ्यों की जांच किये बिना अपीलार्थी के पक्ष में किया गया नियमन आवंटन मानते हुए खारिज किया जो निरस्तनीय है।

उनका यह भी कथन है कि प्रत्यर्थी ने अधीनस्थ न्यायलय के समक्ष यह भी तथ्य अंकित किया कि आवंटी सरपंच का पुत्र है और सरपंच ने पद का दुरूपयोग करते हुए आवंटन किया है जबकि अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि अपीलार्थी के विरूद्ध जारी नोटिस तामील सही रूप से नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी कथन किया कि अपीलार्थी के पक्ष में नियमानुसार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 20 में राजस्थान सरकार द्वारा संशोधित करते हुए नियम 20–1ए के अन्तर्गत अजमेर जिले में भू–संशोधन से अवशेष मामलों के निस्तारण हेतु अपीलार्थी का विवादित भूमि पर वर्ष 1970 के वर्ष पूर्व कब्जा, काश्त मानकर मौका एवं राजस्व रेकार्ड की पूर्ण जांच करने के पश्चात आवंटन कमेटी का कोरम पूर्ण होने पर किया गया है जिससे सिद्ध है कि अपीलार्थी को भूमि का नियमन किया गया है ना कि आवंटन। प्रत्यर्थी द्वारा भूमि की किस्म चारागाह दर्शाई है जबकि नामान्तरकरण संख्या 322 दिनांक 20–2–2008 नियमन से खसरा नम्बर 666/320 रकबा 317–04–00 में से 03 बीघा, किस्म बारानी–2 का नियमन अपीलार्थी के पक्ष में किया जाना सिद्ध है। जिससे यह सिद्ध है कि अपीलार्थी को कभी भी चारागाह भूमि का नियमन नहीं किया गया एवं ना ही आवंटन किया गया जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09–03–2011 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या–1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित आराजी का आवंटन तथ्यों को छिपाकर करवाया गया है एवं आवंटी भूमिहीन की परिभाषा में नहीं आता है बल्कि आवंटी के पिता बरवक्त आवंटन सरपंच होने के कारण उन्होंने अपने पुत्र को वादग्रस्त आराजी का आवंटन किया है जो वैधानिक प्रावधानों के विपरीत होने के साथ–साथ सरपंच द्वारा किया गया आवंटन भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। आवंटी के पिता जो कि सरपंच थे ने अपने पुत्र को वादग्रस्त आराजी का आवंटन किया उस समय उन्होंने वैधानिक प्रावधानों को ताक में रखकर आवंटन बाबत कोई उद्घोषणा जारी नहीं की एवं अपने पुत्र को

विवादित आराजियात का गैर कानूनी रूप से आवंटन कर दिया जो निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि बरवक्त आवंटन वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकार्ड में चारागाह दर्ज थी जिसका आवंटन धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पूर्णतया वर्जित है तथा ऐसे आवंटन गैर कानूनी व अवैधानिक होने से निरस्तनीय है।

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने लिखित बहस में आर.आर.टी 2011 पार्ट 1 पेज 219, आर.आर.टी 2005 पार्ट 1 पेज 95, आर.आर.टी 2008 पार्ट 1 पेज 598 एवं आर.आर. टी 2002 पार्ट 1 पेज 1 में उल्लेखित उद्धरणों का हवाला देते हुए कथन किया कि इस प्रकार के आवंटन को निरस्त किया जाना आवश्यक है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर प्रत्यर्थी संख्या–1 के पक्ष में विवादित आराजियात खसरा नम्बर 666/320 रकबा 3 बीघा किस्म चारागाह भूमि का नियमन दिनांक 6–2–2008 को किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में चारागाह दर्ज है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में दिये गये प्रावधानानुसार आवंटन/नियमन योग्य नहीं है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्व नियमों के अनुसार चारागाह की भूमि उपयोग परिवर्तन करने का अधिकार राजस्व अधिकारियों को है ही नहीं। तत्कालीन राजस्व अधिकारियों ने नियम विरूद्ध तरीके से भूमि आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश पर राजस्व अधिकारियों ने आवंटन किया है जो विधिसम्मत नहीं है। चारागाह भूमि पर यदि कोई अतिक्रमण करता है और उस पर निर्माण करता है तो उसके लिए कड़ी कार्यवाही करने का नियमों में प्रावधान है। राजस्व भू–अधिनियम 1958 की धारा 91 में बेदखली की कार्यवाही तहसीलदार द्वारा की जाती है। प्रस्तुत प्रकरण में धारा 91 की कोई कार्यवाही प्रत्यर्थी के विरूद्ध की गई हो ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। साथ ही विवादित आराजियात पर 1970 से पूर्व के कब्जे धारियों को भूमि नियमन करने का प्रावधान है किन्तु उक्त नियम में भी चारागाह भूमि का आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है। चारागाह भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि है तथा केवल पशुओं के चरने के काम आती है जिसका किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09–03–2011 विधिसम्मत होने से उसमे किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की यह अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09–03–2011 राजस्व प्रकरण संख्या 64/2009 बउनवान श्रीरामपाल व अन्य बनाम श्रीराम व अन्य विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17–01–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवंर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर